सं॰सं॰ : 33–वि॰(अपुनरीक्षित भत्ता)–138 / 2024......1815/190

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक 09/06/2026

संकल्प

विषय : **राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि॰ (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों के भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान / वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–15 (ई॰) के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभागीय संकल्प सं॰ 217 / वि॰ दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या– 1/1(ii)/2026-E.II(B), दिनांक 22.04.2026 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान / वेतन संरचना (छठा वेतनमान) में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 262% (दो सौ बासठ प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों, जिनका सप्तम वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, उनके मामले में अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान / वेतन संरचना का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि॰ (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 257% (दो सौ सत्तावन प्रतिशत) से बढ़ाकर 262% (दो सौ बासठ प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम–34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन / वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1687 / वि॰ दिनांक 22.05.2026 के क्रम में दिनांक 27.05.2026 की बैठक के मद सं॰ 13 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

08/06/26

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : 33–वि॰(अपुनरीक्षित भत्ता)–138/2024 1815 /राँची, दिनांक 09/06/2025

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/ महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखंड, रांची/कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/ नोडल पदाधिकारी ई–गजट, वित्त विभाग, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी॰एम॰यू॰ कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

No. 1/1(i)/2026-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

Kartavya Bhavan-1, New Delhi.
Dated the 22nd April, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-effective from 01.01.2026.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/4(i)/2025-E.II(B) dated 6th October, 2025 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from **58% to 60% of the Basic Pay with effect from 1st January, 2026.**

2. The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under clause (5) of Article 148 of the Constitution of India.

Hindi version is attached.

(Samir Kumar Das)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel: 011 2401 2048

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: **C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list**.